FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ______ मुकाम ______

जगदीश चन्द्र बनाम कमरुद्दीन

मुकदमा ______ नं. 76 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
5/8/2025	वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दौरे पर/दीगर कार्य/अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 26/8/25 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
26/8/2025	वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दौरे पर/दीगर कार्य/अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 23/9/25 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
10/9/2025	पत्रावली तफ्तीश पेशी प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा तारीख नियत किये जाने के निवेदन से तलबी हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। हाजिर होकर तफ्तीश पेशी हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर पेशी 11/9/2025 नियत की जाती है। अप्रार्थी को तलबी हेतु समन मय नोटिस पेश हो व पाबंद रहे। पत्रावली दिनांक 11/9/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला चित्तौड़गढ़	
11/9/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 के अधिवक्ता हाजिर। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पत्ता जवाब पेश वकालतनामा पेश। अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 की ओर से पूर्व में पत्ता प्रार्थना पत्र पेश है। शेष अप्रार्थी संख्या 3, 4, 9 के अधिवक्ता ने जवाब पेश नहीं कर जवाब बाबत हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर हाजिर उपस्थित अधिवक्ता की बहस सुनी गई।	

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 1,5,6,7 के अधिवक्ता ने पक्षकार व बहस दोनों में अधिवक्ता ने प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया। साथ ही अप्रार्थी संख्या 3,4,9 के अधिवक्ता ने भी दौराने बहस प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने दिनांक 29/7/2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 CPC के क्रम में निवेदन किया कि मेरे पक्षकार द्वारा मूल वाद में वादी संख्या 01 तथा वादी संख्या 02 को वाद पत्र में पुनर्वास हेतु पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रदान की जाने से पावर थे। उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा मुझे अधिवक्ता नियुक्त किये जाने से मूल वाद के वादी संख्या 2 अजय कुमार सोनाली को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सुनी गई। वकील अप्रार्थी संख्या 01 के निवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 CPC स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 8 की तामील रिपोर्ट में बाहर होने से पिता ने तामील लेने से मना किया है। अप्रार्थी संख्या 8 मूल वाद के पक्षकार नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र में शामिल पक्षकार है इसलिये तामील की आवश्यकता नहीं है साथ ही इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण में सुना जाना आवश्यक नहीं है। साथ ही हाल जमाबन्दी में खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	वकील [illegible] अधिवक्ता की मूल प्रार्थना पत्र पर सुनी गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर मूल वाद 195/2008 मे प्रारम्भिक डिक्री व अन्तिम डिक्री दिनांक 17.7.2016 जारी आदेश निरस्त किया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना मे राजस्व रेकार्ड मे हुये परिवर्तन को नियमानुसार पूर्व स्थिति मे लाया जावे। मूल वाद रिकोर्ड रेकार्ड रूम से तलब किया जाकर वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19/9/2025 को पेश हो। पत्रावली कैलाश कुमार वगैरह बनाम से कम हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौडगढ़	